

प्रस्ताव चुनहेटी से अम्बाला रोड हेतु दिल्ली यमुनोत्री मार्ग एस0एच0-57 कुल लम्बाई 19.125 किमी0 बायी पास के निर्माण के अन्तर्गत संरक्षित वन क्षेत्र एवं बाधक वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण (FP/UP/ROAD/156081/2022)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

दिनांक 09.12.2022 को एन0एच0-709बी चुनहेटी से अम्बाला रोड होते हुए दिल्ली यमुनोत्री मार्ग (एस0एच-57) तक (कुल लम्बाई 19.125 किमी0) 04 लेन बाईपास के निर्माण हेतु अधिकारी श्री प्रेम सिंह, अधिशासी अभियन्ता के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा एन0 एच0-709बी चुनहेटी से अम्बाला रोड होते हुए दिल्ली यमुनोत्री मार्ग (एस0एच-57) तक (कुल लम्बाई 19.125 किमी0) 04 लेन बाई पास के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया जिसमें संरक्षित भूमि 0.8768040 हे0 आ रही है, जिसमें संरक्षित वनभूमि पर 685 वृक्ष बाधक है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०स०	रैंज का नाम	मार्ग	हे० (क्षेत्रफल)	अभ्युक्ति
1	नकुड	सहारनपुर-नकुड-गंगोह मार्ग किमी-07 की दोनो पटरी	0.1725	80 वृक्ष बाधक
2	सहारनपुर	दिल्ली-यमुनोत्री रोड, किमी० 155	0.184176	35 वृक्ष बाधक
3		पूर्वी यमुना कैनाल मिल 34	0.14154	58 वृक्ष बाधक
4		सहारनपुर-अम्बाला रोड (पंचकुला-रूडकी)	0.116992	52 वृक्ष बाधक
5		पूर्वी यमुना कैनाल मिल 30	0.1235940	171 वृक्ष बाधक
6		दिल्ली-यमुनोत्री रोड, किमी० 171	0.138002	97 वृक्ष बाधक
योग-			0.8768040	493

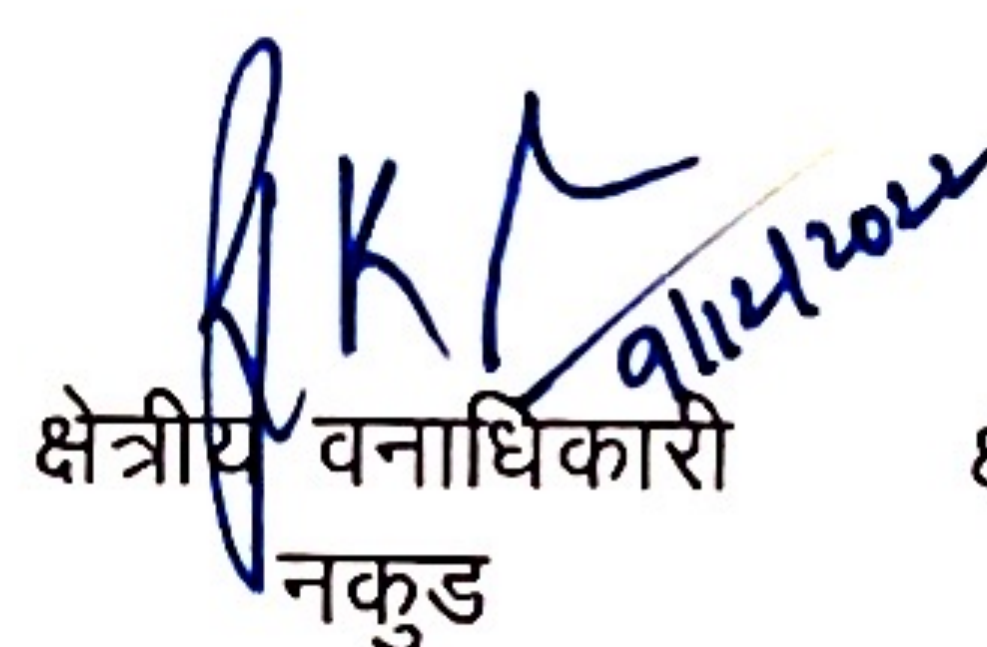
उपरोक्त के अतिरिक्त असंरक्षित भूमि पर 128 एवं सिंचाई विभाग के 14 वृक्ष बाधक है।

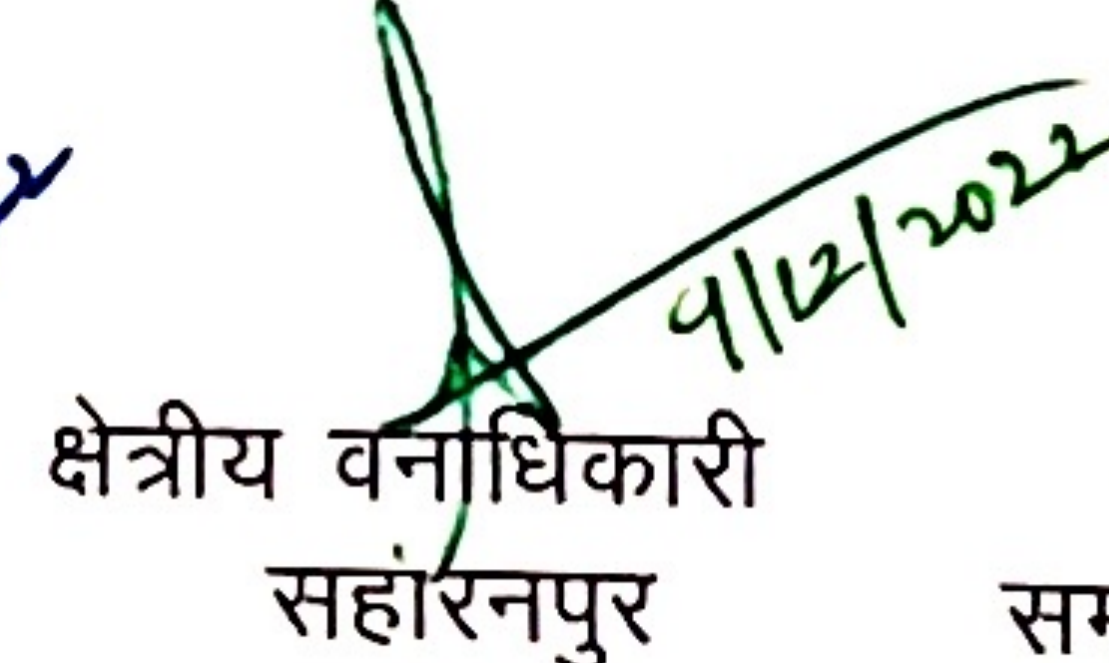
- प्रस्तावित वन क्षेत्र/स्थल पर वनस्पति प्रजाति/प्राणी जाति की दुर्लभ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती है।
- आवेदित स्थलो पर कोई धार्मिक स्थल नहीं आता है, इसलिए इस परियोजना के निर्माण से धार्मिक स्थलो पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- भूक्षरण की दृष्टि से संवेदन शील नहीं है।
- प्रस्तावित वन क्षेत्र में हरियाली का घनत्व...0.4 है तथा इको क्लास...IIIrd है।
- प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है।
- प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव बोर्ड से अनुमति की आवश्यकता होती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी को अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- प्रस्तावित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कोई निवासी या भूमि नहीं है /उनके हक प्रभावित नहीं होते है।
- प्रस्तावित क्षेत्र में आरक्षित/संरक्षित वन के अतिरिक्त किसी वन स्वरूप की भूमि सम्मिलित नहीं हैं।
- प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम-परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 से आच्छादित नहीं है।

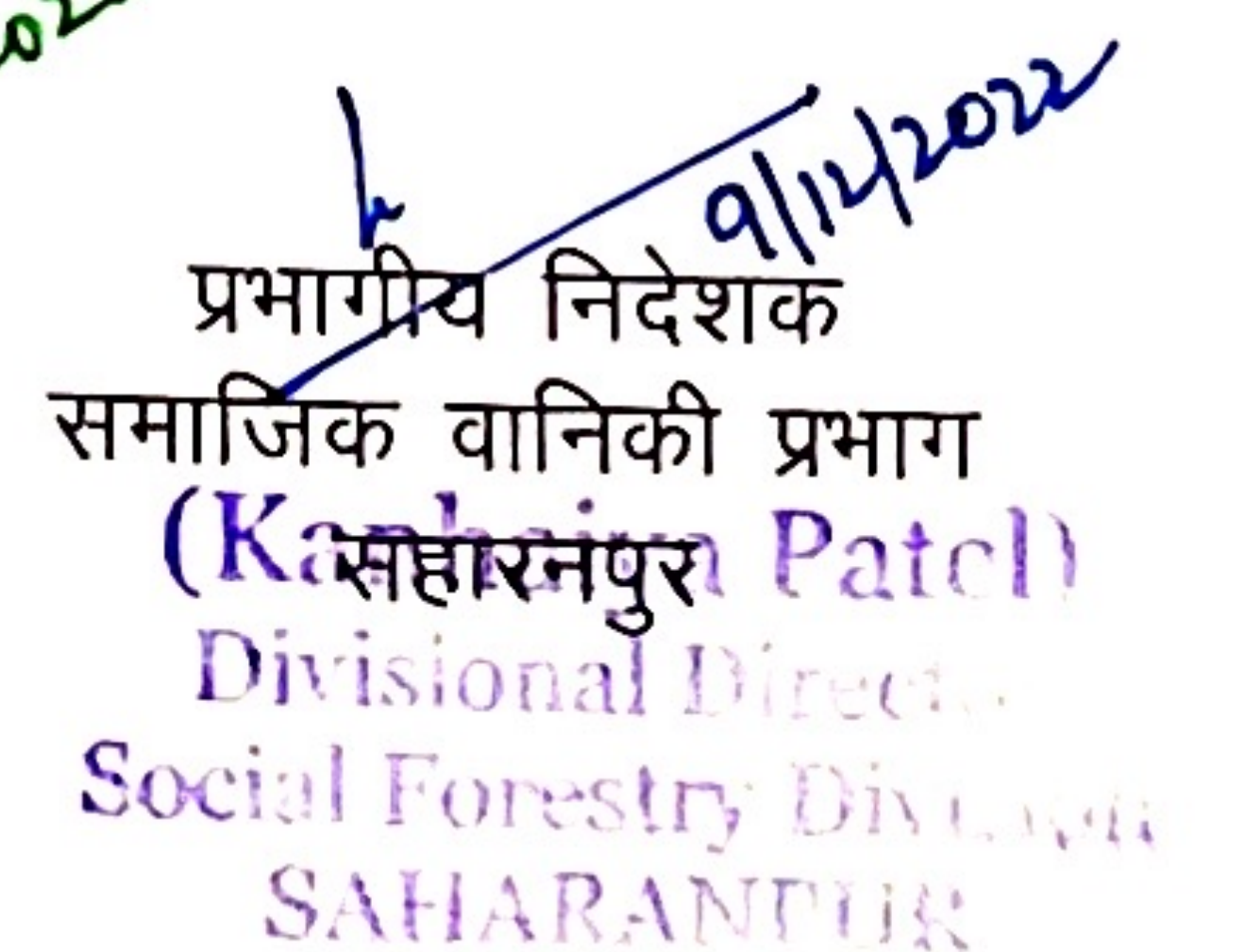
दिनांक 09/12/2022


RE

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0वि0
सहारनपुर


क्षेत्रीय वनाधिकारी
नकुड


क्षेत्रीय वनाधिकारी
सहारनपुर


प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग
(Kashmir Patch)
Divisional Director
Social Forestry Division
SAHARANPUR